



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2013/ज्येष्ठ 9, 1935

No. 1237]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2013/JYAISTHA 9, 1935

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2013

का.आ. 1394(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड (1) में प्रकाशित भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 1997 के संकल्प संख्या 33/7/97-पीआई-1 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और 32 के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों का प्रयोग करेगा।

[फा. सं. 31028/30/2013-पीआई-1]

प्रदीप यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

ORDER

New Delhi, the 30th May, 2013

S.O. 1394(E).—In the exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of Essential Commodities Act, 1955, the Central Government hereby directs that National Pharmaceutical Pricing Authority, established *vide* Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers Resolution No. 33/7/97-PI-I dated the 29th August, 1997, published in Part 1, Section (1) of the Gazette of India Extraordinary, shall exercise the functions of the Central Government in respect of paragraphs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 32 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013.

[F.No. 31028/30/2013-PI-I]

PRADEEP YADAV, Jt. Secy.